



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941
No. 510]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 627(अ).—भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और भांडागारण सलाहकार समिति के साथ परामर्श द्वारा, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का नाम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 में :-
 - अनुसूची 1 में 'अधिकारी काडर' शीर्षक के अधीन,-
 - क्रम संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	पद(पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
"3 क.	निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी).	01	समूह 'क'	स्तर-13 (123100-215900 रु.);

(ii) क्रम संख्या 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	पद(पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
"7 क.	उप निदेशक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच).	04	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु.).
7 ख.	उप निदेशक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित्त और संविदा).	02	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु.).
7 ग.	उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी).	01	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु.);

(iii) क्रम संख्या 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	पद(पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
"8 क.	सहायक निदेशक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच).	04	समूह 'ख'	स्तर-8 (47600-151100 रु.).
8 ख.	सहायक निदेशक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित्त और संविदा).	02	समूह 'ख'	स्तर-8 (47600-151100 रु.).
8 ग .	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी).	01	समूह 'ख'	स्तर-8 (47600-151100 रु.).
8 घ.	सहायक निदेशक (प्रवर्तन एवं विधिक).	01	समूह 'ख'	स्तर-8 (47600-151100 रु.);

(iv) क्रम संख्या 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	पद(पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
"10 क .	सहायक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/पणधारी	08	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-7 (44900-142400 रु.).

	कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच).			
10 ख.	सहायक (मानव संसाधन).	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-7 (44900-142400 रु.).
10 ग.	सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-7 (44900-142400 रु.).
10 घ.	सहायक (प्रवर्तन एवं विधिक)	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-7 (44900-142400 रु.);

(ख) अनुसूची 2 में "भर्ती की पद्धति" शीर्षक के अधीन सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	अर्हता या अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
"3 क.	निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए : प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति इस ग्रेड में न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) ग्रेड से की जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रु.) में या समकक्ष के सुसंगत क्षेत्र में सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) के सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव है; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समकक्ष के संगत क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; तथा</p> <p>(iv) जिनके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री अथवा कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ सूचना प्रौद्योगिकी में</p>	50 वर्ष से अधिक नहीं

			<p>स्नातकोत्तर डिग्री हो; तथा</p> <p>(v) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, सर्वर आधारीक संरचना, नेटवर्किंग आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की कार्य-प्रणाली का अनुभव।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) जिनके पास भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा समकक्ष में अभियांत्रिकी स्नातक डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी/ डिविजन अथवा कुल मिलकर साठ प्रतिशत अंक हो; और</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सर्वर, आधारीक संरचना, नेटवर्किंग आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी पद्धतियों की कार्य-प्रणाली का अधिकारी अथवा प्रबन्धक अथवा समकक्ष के रूप में पंद्रह वर्ष का अनुभव हो।”;</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(ii) क्रम संख्या 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	अर्हता या अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
“7 क.	उप निदेशक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच).	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए : प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक निदेशक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/ पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच) की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 के (47600-151100 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए : (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य; या</p>	40 वर्ष से अधिक नहीं.

			<p>(ii) कृषि के लिए नीति रूपरेखा बनाने/ कृषि विपणन/ वित्त/ भंडारण/ जोखिम प्रबंधन एवं सहायक मामलों में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में (56100-177500 रु.) के पदों पर कार्यरत अधिकारी; तथा</p> <p>(iii) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से जैविक विज्ञान (कृषिसहित)/वित्त/ वाणिज्य/अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा वित्त/ अर्थशास्त्र/कृषि व्यवसाय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) जैविक विज्ञान (कृषिसहित) वित्त/वाणिज्य/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वित्त/ वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/कृषि व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री; तथा</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में कृषि/कृषि विपणन/ वित्त/ भंडारण/ जोखिम प्रबंधन सहायक मामलों में नीति रूपरेखा तैयार करने का छह वर्ष का अनुभव।</p>	
7 ख.	उप निदेशक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित्त और संविदा) .	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक निदेशक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित्त और संविदा) की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 के (47600-151100 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में, ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य हैं; अथवा</p> <p>(ii) नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में</p>	40 वर्ष से अधिक नहीं.

			<p>(56100-177500 रु.) के पदों कार्यरत अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य अधिकारी; और</p> <p>(iii) प्रशासन, मानव संसाधन विकास स्थापना, भर्ती अथवा वित्त में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव; तथा</p> <p>(iv) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मानव संसाधन/ वित्त में समकक्ष डिग्री; तथा</p> <p>(ii) प्रशासन, मानव संसाधन विकास, स्थापना, भर्ती वित्त लेखाकरण, सतर्कता तथा प्रबंधन में किसी प्रतिष्ठित संगठन में छह वर्ष का अनुभव।</p>	
7 ग.	उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी).	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक निदेशक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित एवं संविदा) की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 के (47600-151100 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए:</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) में समान पदों या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष हों; अथवा</p> <p>(ii) नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में (56100-177500 रु.) के पदों पर कार्यरत अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य अधिकारी; तथा</p>	40 वर्ष से अधिक नहीं.

			<p>(iii) जिनके पास भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री अथवा कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री हो; तथा</p> <p>(iv) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सर्वर आधारिक संरचना, नेटवर्किंग आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी पद्धतियों की कार्य-प्रणाली का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी/ डिविजन अथवा कुल मिलकर साठ प्रतिशत अंक हो; तथा</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सर्वर आधारिक संरचना, नेटवर्किंग आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी पद्धतियों की कार्यप्रणाली का छह वर्ष का अनुभव हो”;</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(iii). क्रम संख्या 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	अर्हता या अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
“8 क.	सहायक निदेशक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/ पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच).	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/ पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच)की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मेट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं.

			<p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में समान पदों पर कार्यरत अधिकारी ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा वाले अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में संगत क्षेत्र में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में संगत क्षेत्र में छह वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में संगत क्षेत्र में समकक्ष अधिकारी; और</p> <p>(iv) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से जैविक विज्ञान (कृषिसहित)/वित्त/अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा वित्त/अर्थशास्त्र/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन का स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा मास्टर डिग्री।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से जैविक विज्ञान (कृषि सहित) वित्त/वाणिज्य/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वित्त/ वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/कृषि व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा वित्त/ वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री; तथा</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में कृषि/कृषि विपणन/ वित्त/ भंडारण/ जोखिम प्रबंधन एवं सहायक मामलों में नीति रूपरेखा तैयार करने का चार वर्ष का अनुभव।</p>	
8 ख.	सहायक निदेशक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित्त एवं संविदा).	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक (मानव संसाधन/ प्रशासन तथा वित्त एवं संविदा) की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं.

			<p>तथा राज्य स्वायत्त कानूनी निकायों में जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में समान पदों पर कार्यरत अधिकारी मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा वाले अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में संगत क्षेत्र में छह वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य अधिकारी; तथा</p> <p>(iv) प्रशासन एवं वित्त लेखाकरण तथा बजट अथवा सतर्कता अथवा प्रबंधन में अधिकारी के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव; तथा</p> <p>(v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अधिमानत व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अधिमानत व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) प्रशासन एवं वित्त लेखाकरण तथा बजट अथवा सतर्कता अथवा प्रबंधन में अधिकारी के रूप में चार वर्ष का अनुभव।</p>	
8 ग.	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी).	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में निकायों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में समान पदों पर कार्यरत अधिकारी मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं.

			<p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा वाले अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समकक्ष अधिकारी; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य अधिकारी; तथा</p> <p>(iv) अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री; तथा</p> <p>(v) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सर्वर, आधारीक संरचना, नेटवर्किंग आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी पद्धतियों की कार्यप्रणाली का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) अभियांत्रिकी स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर/ कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी/ डिविजन अथवा कुल मिलकर साठ प्रतिशत अंक हो; तथा</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सर्वर, आधारीक संरचना, नेटवर्किंग आदि सहित चार वर्ष का अनुभव हो।</p>	
8 घ.	सहायक निदेशक (प्रवर्तन एवं विधिक)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे सहायक (प्रवर्तन एवं विधिक) की श्रेणी से की जाएगी जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में समान पदों पर कार्यरत अधिकारी मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं

			<p>वाले अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य अधिकारी; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य अधिकारी; तथा</p> <p>(iv) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विधि में डिग्री।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; तथा</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में विधिक मामलों को देखने का चार वर्ष का अनुभव।”;</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(iv) क्रम संख्या 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी; अर्थात्:-

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	अर्हता या अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
“10 क.	सहायक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/ परिचालन/ पणधारी कार्य/ पणधारी जागरूकता तथा पहुँच)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति स्टाफ/ फील्ड अधिकारी से की जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में नियमित आधार पर मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पदों पर कार्यरत हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य पद पर हों; तथा</p> <p>(iii) जैविक विज्ञान (कृषि सहित)/ वित्त/अर्थशास्त्र/ वाणिज्य में डिग्री अथवा वित्त/अर्थशास्त्र/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं

			<p>व्यवसाय प्रशासन में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>(iv) भांडागारण/कृषि अथवा संबंधित विषयों में प्रशिक्षण/प्रचार/विस्तार कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) जैविक विज्ञान (कृषिसहित) डिग्री अथवा व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p>	
10 ख.	सहायक (मानव संसाधन).	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा.	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे स्टाफ/ फील्ड अधिकारी से की जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में नियमित आधार पर मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पदों पर कार्यरत हैं, अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य पद पर हों; तथा</p> <p>(iii) प्रशासन एवं वित्त लेखाकरण तथा बजट अथवा सतर्कता अथवा प्रबंधन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री अथवा समतुल्य।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं.
10 ग.	सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति के लिए :</p> <p>लागू नहीं</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं

			<p>कानूनी निकायों में नियमित आधार पर मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पदों पर कार्यरत हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य पद पर हों; तथा</p> <p>(iii) अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री; तथा</p> <p>(iv) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सर्वर आधारीक संरचना/ कंप्यूटर नेटवर्किंग आदि सहित कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>सीधी भर्ती के लिए: इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार/ सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर/ कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में अभियांत्रिकी स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी/ डिविजन अथवा कुल मिलकर साठ प्रतिशत अंक हो।</p>	
10 घ.	सहायक (प्रवर्तन एवं विधिक)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति के लिए : प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे स्टाफ/ फील्ड अधिकारी से की जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त अथवा कानूनी निकायों में नियमित आधार पर मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पदों पर कार्यरत हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो अथवा मूल संवर्ग</p>	30 वर्ष से अधिक नहीं

			<p>अथवा विभाग में समकक्ष पद पर हों; तथा</p> <p>(iii)सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विधि में डिग्री; तथा</p> <p>(iv)विधिक मामलों को देखने का तीन वर्ष का अनुभव </p> <p>सीधी भर्ती के लिए:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।”;</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[फा. सं. डब्ल्यू डी आर ए/2018/19-4/ए एंड एफ]

गणेश ए. बाकडे, निदेशक (प्र. एवं वित्त)

टिप्पण : भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा. का. नि. 694(अ) तारीख 14 जुलाई 2016 द्वारा प्रकाशित हुए और भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा. का. नि. 865(अ) तारीख 10 सितम्बर 2018 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by section 33, read with clause (g) of sub-section (2) of section 51, of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority, with the previous approval of the Central Government, and in consultation with Warehousing Advisory Committee, hereby makes the following regulations further to amend the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, namely:-

- (1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, -
 - in Schedule I, in the table under the heading ‘Officers Cadre’,-
 - after Sl.No.3 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	No. of post(s)	Classification	Level in pay matrix
“3A.	Director (Information Technology)	01	Group ‘A’	Level 13 (Rs. 123100-215900).”;

- after Sl.No. 7 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	No. of post(s)	Classification	Level in pay matrix
“7A.	Deputy Director (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness	04	Group ‘A’	Level 11 (Rs. 67700-208700).

	and Outreach).			
7B.	Deputy Director (Human Resource/ Administration and Finance and Contracts).	02	Group 'A'	Level 11 (Rs. 67700-208700).
7C.	Deputy Director (Information Technology).	01	Group 'A'	Level 11 (Rs. 67700-208700).";

(iii) after Sl.No. 8 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	No. of post(s)	Classification	Level in pay matrix
"8A.	Assistant Director (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach).	04	Group 'B'	Level 8 (Rs. 47600-151100).
8B.	Assistant Director (Human Resource/ Administration and Finance and Contracts).	02	Group 'B'	Level 8 (Rs. 47600-151100).
8C.	Assistant Director (Information Technology).	01	Group 'B'	Level 8 (Rs. 47600-151100).
8D.	Assistant Director (Enforcement and Legal).	01	Group 'B'	Level 8 (Rs. 47600-151100).";

(iv) after Sl.No. 10 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	No. of post(s)	Classification	Level in pay matrix
"10A.	Assistant (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach).	08	Group 'B' Non Gazetted	Level 7 (Rs. 44900-142400).
10B.	Assistant (Human Resource).	01	Group 'B' Non Gazetted	Level 7 (Rs. 44900-142400).
10C.	Assistant (Information Technology).	01	Group 'B' Non Gazetted	Level 7 (Rs. 44900-142400).
10D.	Assistant (Enforcement and Legal).	01	Group 'B' Non Gazetted	Level 7 (Rs. 44900-142400).";

(b) in Schedule II, in the table under the heading 'Methods of Recruitment',-

(i) after Sl.No. 3 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
"3A.	Director (Information Technology).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Deputy Director (Information Technology) with minimum eight years of regular service in this grade.</p> <p>For Deputation: (i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts in the relevant field in level 13 (Rs. 123100 – 215900/-) in the pay matrix or equivalent; or (ii) five years experience in the relevant field in level 12 (Rs.78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent; or (iii) ten years experience in relevant field in</p>	Not exceeding fifty years.

			<p>level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(iv) possessing Bachelor's degree in Engineering or equivalent degree or Master of Science in Computer Science/ Electronics and Communication/ Information Technology from a Government of India recognised University; and</p> <p>(v) experience of working and managing Information Technology systems with Information Technology applications, server infrastructure, networking, etc.</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) First Class/Division or at least sixty per cent marks in aggregate in Bachelor of Engineering or equivalent or Master of Science in Computer Science/Electronics and Communication/ Information Technology or Masters in Computer Application from a Government of India recognised University; and</p> <p>(ii) fifteen years experience as an officer or Manager or equivalent working on Information Technology systems with Information Technology applications, server infrastructure, networking, etc. in the organisation of repute.”;</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(ii) after Sl.No. 7 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
“7A.	Deputy Director (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant Director (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach) in level 8 (Rs.47600-151100/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts in the relevant field in level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent; or</p> <p>(ii) with five years service on regular basis in posts in level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or</p>	Not exceeding forty years.

			<p>equivalent in formulating policy framework for Agriculture/ Agricultural marketing/ finance/ warehousing/ monitoring of risk management and allied matters; and</p> <p>(iii) possessing degree in Biological Science (including Agriculture)/ Finance / Commerce/ Economics or Post graduate diploma in Business Administration in Finance/ Economics/ Agricultural Business Management from a Government of India recognised institute or University;</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) Post graduate degree in Biological Science (including Agriculture)/ Finance/ Commerce/ Economics or Master's degree in Business Administration or equivalent degree in Finance/ Commerce/ Economics/ Agricultural Business Management from a recognised institute or University; and</p> <p>(ii) six years experience of working in formulating policy framework for Agriculture/Agricultural Marketing/ Finance/ Warehousing/ Monitoring of Risk Management and allied matters in an organisation of repute.</p>	
7B.	Deputy Director (Human Resource/ Administration and Finance and Contracts).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant Director (Human Resource/ Administration and Finance and Contracts) in level 8 (Rs.47600-151100/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years service on regular basis in posts in relevant field in level 10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iii) at least five years of experience of handling Administration, Human Resource Development, Establishment, Recruitment or Finance; and</p>	Not exceeding forty years.

			<p>(iv) possessing degree in Business Administration or Post graduate diploma in Business Administration/ Master's degree in Business Administration.</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) possessing Post graduate degree in Business Administration or Master's degree in Business Administration or equivalent management degree in Human Resource/ Finance; and</p> <p>(ii) six years experience of handling Administration, Human Resource Development, Establishment, Recruitment, Finance, Accounting and Budget, Vigilance and/or Management in an organisation of repute.</p>	
7C.	Deputy Director (Information Technology).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant Director (Information Technology) in level 8 (Rs.47600-151100/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five year service on regular basis in posts in level 10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department in relevant field; and</p> <p>(iii) possessing Bachelor's degree in Engineering or equivalent or Master of Science in Computer Science/ Electronics and Communication/ Information Technology from a Government of India recognised University; and</p> <p>(iv) at least five years experience in working and managing Information Technology systems with Information Technology applications, server infrastructure, networking, etc.</p>	Not exceeding forty years.

			<p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) First Class/Division or at least sixty per cent marks in aggregate in Bachelor's degree in Engineering or equivalent or Master of Science in Electronics and Communication/ Computer Engineering/ Computer Science/ Information Technology or Masters in Computer Application; and</p> <p>(ii) six years experience in working and managing Information Technology systems with Information Technology applications, server infrastructure, networking, etc. in the organization of repute.”;</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(iii) after Sl.No. 8 and the entries relating thereto, the following Sl.No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
“8A.	Assistant Director (Strategy Risk and Research/Operations/Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion : Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach) in level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years service on regular basis in posts in level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in relevant field in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with six years service on regular basis in posts in the relevant field in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iv) degree in Biological Science (including Agriculture)/ Finance/ Economics from a Government of</p>	Not exceeding thirty years.

			<p>India recognised institute or University or Post graduate diploma in Business Administration or Master's degree in Business Administration in Finance/ Economics/ Agricultural Business Management and allied matters.</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) Post graduate degree in Biological Science (including Agriculture)/ Finance/ Commerce/ Economics or Post graduate diploma in Business Administration or Master's degree in Business Administration in Finance/ Commerce/ Economics/ Agricultural Business Management and allied matters from a Government of India recognised institute or University; and</p> <p>(ii) four years experience in formulating policy framework for Agriculture/ Agricultural marketing/ Finance/ Warehousing/ Monitoring of Risk Management and allied matters in an organisation of repute.</p>	
8B.	Assistant Director (Human Resource/ Administration and Finance and Contracts).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant (Human Resource/ Administration and Finance and Contracts) in level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years service on regular basis in posts in level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in relevant field in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with six years service on regular basis in posts in the relevant field in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p>	Not exceeding thirty years.

			<p>(iv) at least four years experience as an officer in the Administration and Finance or Accounting and Budget or Vigilance or Management; and</p> <p>(v) degree from a recognised University or equivalent or Post graduate diploma in Business Administration, preferably Master's degree in Business Administration in the Human Resource Management.</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) Degree from a Government of India recognised university or equivalent or Post graduate diploma in Business Administration, preferably Master's degree in Business Administration in the Human Resource Management; and</p> <p>(ii) four years experience as an officer in the Administration and Finance or Accounting and Budget or Vigilance or Management in an organisation of repute.</p>	
8C.	Assistant Director (Information Technology).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant (Information Technology) in level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years service on regular basis in posts in level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in relevant field in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with six years service on regular basis in posts in the relevant field in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the</p>	Not exceeding thirty years.

			<p>parent cadre or Department; and</p> <p>(iv) degree in Bachelor of Engineering or equivalent or Master of Science in Electronics and Communication/ Computer Engineering/ Computer Science/ Information Technology or Masters in Computer Application; and</p> <p>(v) at least three years experience in working and managing Information Technology systems with Information Technology applications, server infrastructure, networking, etc.</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) possessing First Class/Division or at least sixty per cent marks with aggregate in Bachelor's degree in Engineering or equivalent or Master of Science in Electronics and Communication/ Computer Engineering/ Computer Science/ Information Technology or Masters in Computer Application; and</p> <p>(ii) four years experience in working and managing Information Technology systems with Information Technology applications, server infrastructure, networking, etc. in an organisation of repute.</p>	
8D.	Assistant Director (Enforcement and Legal).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Assistant (Enforcement and Legal) in level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with six years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years service on regular basis in posts in the relevant field in level 7 (Rs. 44900-142400/-) in</p>	Not exceeding thirty years.

			<p>the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with six years service on regular basis in posts in the relevant field in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iv) possessing a degree in law from a Government recognised University or institute.</p> <p>For Direct Recruitment:</p> <p>(i) Possessing degree in law from a recognised University; and</p> <p>(ii) four years of experience of having dealt mainly with legal matters in an organisation of repute.”;</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(iv) after Sl.No.10 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
“10A.	Assistant (Strategy Risk and Research/ Operations/ Stakeholders Affairs/ Stakeholders Awareness and Outreach).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion : Appointment by promotion shall be made from the grade of Staff/Field Officer in level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix with five years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service on regular basis in posts in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in relevant field in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iii) degree in Biological Science (including Agriculture)/ Finance/ Economics/ Commerce from a Government of India recognised institute or University or Post graduate diploma in Business Administration in Finance/ Economics/ Agricultural Business Management and allied matters; and</p>	Not exceeding thirty years.

			<p>(iv) three years experience in organizing trainings/ publicity/ extension work relating to warehousing, agriculture or allied subjects.</p> <p>For Direct Recruitment: degree in Biological Science (including Agriculture) or Post graduate diploma in Business Administration.</p>	
10B.	Assistant (Human Resource).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Staff/Field Officer in level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix with five years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service on regular basis in posts in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iii) at least three years of experience in Administration and Finance or Accounting and Budget or Vigilance or Management; and</p> <p>(iv) possessing degree from a Government of India recognised university or equivalent.</p> <p>For Direct Recruitment: degree from a Government of India recognized university.</p>	Not exceeding thirty years.
10C.	Assistant (Information Technology).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Not applicable</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p>	Not exceeding thirty years.

			<p>(ii) with three years service on regular basis in posts in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the relevant field of the post in parent cadre or Department; and</p> <p>(iii) degree in Bachelor of Engineering or equivalent or Master of Science in Electronics and Communication/Computer Engineering/ Computer Science/ Information Technology or Masters in Computer Application; and</p> <p>(iv) at least three years experience in working and managing Information Technology systems with Information Technology applications/ server infrastructure/ computer networking, etc.</p> <p>For Direct Recruitment: possessing First Class/Division or at least sixty per cent marks with aggregate in Bachelor's degree in Engineering or equivalent or Master of Science in Electronics and Communication/ Computer Engineering/ Computer Science/ Information Technology or Masters in Computer Application.</p>	
10D.	Assistant (Enforcement and Legal).	By Promotion failing which by Deputation or Absorption or Direct Recruitment.	<p>For Promotion: Appointment by promotion shall be made from the grade of Staff/Field Officer in level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix with five years of regular service.</p> <p>For Deputation:</p> <p>(i) officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service on regular basis in posts in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iii) possessing a degree in law from a Government recognised University or</p>	Not exceeding thirty years.

			institute; and (iv) three years experience in dealing with legal matters. For Direct Recruitment: possessing degree in law from a recognised University.”;	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[F.No. WDRA/2018/19-4/A&F]

GANESH A. BAKADE, Director (Admn. & Fin.)

Note : The Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 694(E), dated the 14th July, 2016, and the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2018, were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 865(E) dated the 10th September, 2018.